Title: Moved the motion for consideration of the Leader and Chief Whips of Recognised Parties and Group in Parliament (Facilities) Bill, 1998. Motio for Consideration - adopted

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): सभापति महोदय, कल मैंने इस सदन में संसद में मान्यता प्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधायें) विधेयक, १९९८ प्रस्तुत किया था। इस विधेयक में संसद के दोनों सदनो में मान्यता प्राप्त दलों और राजनैतिक समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों को अतिरिक्त सैक्रेटेरियल और टेलिफोन सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ये सुविधायें इस समय उनको सांसद के रूप में संबंधित कानून के तहत मिल रही सुविधायों के अलावा होंगी।

खुराना जारी राजनैतिक दलों के नेताओं और मुख्य सचेतकों को दी जाने वाली इन सुविधाओं को नए कानून के तहत बाद में अधिसूचित किया जाएगा। ये सुविधाएं इस प्रकार होंगीः-

एक आशुलिपिक जो ग्रेड-३ निजी सचिव के स्तर का होगा।

क र्यालय और निवास के टेलिफोनों पर कुल मिला कर प्रतिवर्ष मुफ्त १०,००० ट

स्थानीय काल की सुविधा। ये काल उन्हें संसद सदस्य के रूप में उपलब्ध निशुल्क काल के अलावा होंगी। उपरोक्त दोनों सुविधाएं राजनीतिक दलों के नेताओं और मुख्य सचेतकों को तब तक मिलती रहेंगी जब तक वे अपने पदों पर रहेंगे।

सदन इस बात से सहमत होगा कि संसदीय व्यवस्था का सुचारू संचालन बहुत हद तक पार्टी मशीनरी की दक्षता पर निर्भर करता है। राजनैतिक दलों के नेता और मुख्य सचेतक संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में अपने दलों के काम-काज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही १९९४ में बंगलौर में आयोजित ११वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि संसद और राज्य विधानमंडलों में मान्यता प्राप्त विपक्षी दलों के मुख्य सचेतकों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिससे वे अपने संसदीय दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वाह कर सकें।

वास्तव में देखा जाए तो यह सिफारिश अभी तक कई अखिल भारतीय मुख्य सचेतक सम्मेलनों द्वारा की जा चुकी है परन्तु इन पर कार्यवाई पैंडिंग रही है। श्रीमान् मुझे याद है कि १९६७ में जब मैं दिल्ली महानगर परिषद में मुख्य सचेतक था तो मुझे सचेतक सम्मेलनों में भाग लेने का मौका मिला था। इसमें मुख्य सचेतकों को इसी तरह की सुविधाएं देने की मांग की गई थी। बाद के सम्मेलनों में इस तरह की मांग उठाई जाती रही। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से संतोष की बात है कि हम ३१ वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन इन सिफारिशों को इस विधेयक के माध्यम से लागू किया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में इस सदन के सम्मुख यह विधेयक लाते हुए मुझे खुशी हो रही है।

मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकारें भी इस बिल के पास हो जाने के बाद हमारे इस कदम का अनुसरण करते हुए अपने विधान मंडलों में भी इसी तरह का विधेयक लाएंगे ताकि राजनैतिक दलों के मुख्य सचेतकों और नेताओं को अपने दायित्वों के निर्वाह में संसद के अनुरूप ही सहायता मिल सके।

श्रीमान, हमारा यह प्रयास पर्याप्त न हो लेकिन हमने सही दिशा में पहल की है। श्रीमान, यह एक छोटा, साधारण और गैर विवादास्पद विधेयक है। मुझे विश्वास है कि सदन के सभी वर्गों का इसे समर्थन मिलेगा, इन शब्दों के साथ मैं सदन के सामने यह विधेयक रखता हूं और आशा करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"That the Bill to provide for Facilities to Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament, be taken into consideration."

... (व्यवधान)

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): महोदय, इसे पास करा दिया जाए।

... (व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मुझे दो लफ्ज़ बोलने की इजाजत दी जाए। बिल तो अच्छा है, हम सब इसका खैर मकदम करेंगे, इसका वेलकम करेंगे। इंशा अल्लाह यह युनेनिमसली ही पास हो जाएगा। मुझे सिर्फ एक बात की तरफ हुकूमत की तवज्जोह दिलानी है, यहां पर बहुत छोटी-छोटी पार्टियां भी हैं लेकिन वे भी अपना अहम् मुकाम और महत्व मुकाम रखती हैं। अब वे छोटी पार्टियां तो इस बिल के अंदर आ नहीं पातीं लेकिन कुछ न कुछ गौर हुकूमत को करना चाहिए कि कम से कम उनको भी कोई न कोई सहूलियत यहां मिले ताकि वे अपने काम को अच्छे तौर पर कर सकें। होना तो यह चाहिए कि यह सहूलियत तमाम एम.पीज़ को मिलनी चाहिए ताकि वे अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम दे सकें, लेकिन जो छोटी-छोटी पार्टियां हैं और जो इस बिल के स्कोप में नहीं

आती हैं उनकी भी जरूरतों को ख्याल में रखा जाएतो यह एक अच्छा कदम होगा। पार्लियामेंट्री मेटर्स में सहूलियतों का ज़िक्र करना शायद मुनासिब न रहे लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि इधर एक नोटिस आफिस है।

लेकिन कितना छोटा है। पार्लियामेंट की अपनी दुशवारियां हैं और इधर बैठकर काम करना दुशवार हो जाता है। फिर कोई जगह तलाश करते फिरते हैं। कभी लाइब्रेरी के एक हिस्से में घुसते हैं कभी दूसरे में। मैं जिस सहूलियत के बारे में बात कर रहा हूं वह छोटी-छोटी पार्टियों के लिए काम करने की सहूलियत है। इसलिए इन छोटी-छोटी पार्टियों के लिए ऐसा कोई इंतजाम आपकी तरफ से हो कि इत्मीनान से बैठकर ये पार्टियां अपना काम कर सकें। एक छोटे से नोटिस ऑफिस में बैठकर अपने कागजात लिए जल्दी-जल्दी अपना काम करें और किसी से बात भी करें, यह सिंसेअर तौर पर कुछ मुनासिब बात नहीं है। इसलिए इन दुशवारियों की तरफ भी आप तवज्जोह दें। आपने जो सहूलियतें अभी फ़राहम करने की बात की है, मैं उस पर आपको मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं लेकिन साथ ही साथ आपसे यह उम्मीद करता हूं कि छोटी-छोटी पार्टियों को और हमारे एम.पीज. को भी कोई जगह मिलेगी, जिससे वे अपने कामों को अंजाम दे सकें।

SHRI V.V. RAGHAVAN (TRICHUR): Mr. Chairman, Sir, the facilities proposed in the Bill will certainly help and make easier the work of the Whips. As I understand it, in this House only three parties are going to get these facilities, the BJP, the Congress Party and the CPI(M).

I plead that at least the national parties recognised by the Election Commission that are here may also be provided such minimum facilities. I must point out that already the BJP, the Congress Party and our brother party the CPI(M) have got some facilities in this Parliament House. Some of their Members are Chairmen of the various Standing Committees and Parliamentary Committees and they are provided with offices and such minimum staff as needed and telephones. Unfortunately, we are nine only in the CPI. Parties having less members than us have got Chairmanships and they also have facilities here in this office. I do not know what happened. I do not blame the hon. Minister of Parliamentary Affairs nor do I point it out as the Speaker's lapse.

Anyhow parties with less than nine Members have got all the other facilities, one Chairmanship of any of the Parliamentary Committees with these facilities. I know why we were denied these facilities in this Parliament House. In this Parliament, in office a minimum facility of telephone is quite necessary to work for a party and I do not think that if the hon. Minister of Parliamentary Affairs will either complain our performance to conduct the business of the House in an orderly manner. (Interruptions)

Please do not disturb. We never disturb. We are helping in the conduct of the business in a very orderly manner.

We are denied of facilities and an office here. We are denied the Chairmanship also. So, I plead that if you consider the nationally recognised political parties for these minimum facilities in the Parliament House, that would be fair. Otherwise, we support providing these three parties with these amenities. We have no complaints about that but keeping these facilities among the BJP, Congress and CPI (M) is not fair.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I will support the Bill. While supporting it, I have to state something about the experience which I had during the five years when I acted as the Speaker of the Kerala Assembly. The first thing which I would like to mention here is about the present tendency of the courts in taking certain decisions which are affecting the normal functioning of the House. It is specifically provided in the Constitution that regarding matters concerning the procedure to be followed in the House, we are supreme. The courts have no powers to interfere in those matters. The power of the court is to decide the validity or otherwise of the decisions taken under a particular statute. They can scrutinise the statutes passed by us and they can very well say that they are ultra vires. There is no harm. But so far as the procedural matter is concerned, the House is supreme. The courts cannot interfere and our Constitution is very specific in that respect.

Now, I am compelled to state something here regarding the two decisions recently taken by the High Court in our State. We respect the court. We also stand for judicial independence. We also applaud the independence of judiciary. In those matters, we have no difference of opinion. The power of the courts is complementary. We do not stand for a confrontation with the court. But the courts must realise that it is for us to decide what matters we should discuss here and what priority we should give in taking such decisions.

We have to decide certain procedural matters. I would submit that if the Members are given certain privileges, it is not the look out of the courts whether it is right or wrong. Now there is a tendency that we will have to bring a

statute to give railway concession to a particular Member. It is very unfortunate. Can we go and pass statutes after statutes for giving a pencil or giving a pen or giving a bag to a particular Member? Can we do that? It is not possible. So, in procedural matters, we are supreme and the courts have no business to direct us.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): I am concluding. The courts have no business to direct us that we should keep a register, we should publish it in a particular paper as to whom we have issued coupons. We cannot keep a register to satisfy the requirement of the courts. That is too much. We cannot agree to that proposal. So, I would submit that this tendency must be condemned at this stage. Otherwise, public interest litigations will come up and we will be pestered with decisions after decisions by each and every High Court in India. We cannot tolerate that. So, we should take a very definite stand that in matters of procedure, the House is supreme. We will not succumb to any decision of any court.

Before that, I would like to mention one thing. There are small parties. Those parties have a role to play in the present set up. There are small parties and their facility will have to be recognised. Even if they do not come under the registration rules, they are eligible to get certain privileges.

It is required for the proper functioning of a parliamentary democracy in India. We cannot ignore the contributions of smaller parties who are having five or six Members. We have to give some recognition to them. I would like to request the hon. Minister to make certain provisions for giving some benefits to the smaller parties as well.

Sir, with these words, I support the Bill.

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, मैं समझ रहा था कि दुनिया भर की सारी बातें इस बिल के मुताल्लिक कह दी जायेंगी। मैं इस पर अधिक नहीं बोलना चाहता। चूंकि जनता पार्टी का व्हिप रहते हुए मुझे कठिनाई का अनुभव हुआ है। मैं संसदीय कार्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कठिनाइयों को समझा और इस विधेयक को सदन में लाये। परंतु मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिन कठिनाइयों की ओर इशारा किया है, उन कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संसद में किसी पार्टी को इतनी जगह नहीं दी गई हैं कि उसके सारे सदस्य एक स्थान पर बैठकर काम कर सकें। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि संसद भवन में संभव हो तो अच्छा है, अन्यथा एनेक्सी में एक ऐसा हॉल बनाया जाए जहां संसद सदस्य बैठकर अपना संसदीय कार्य कर सके। वहां उनके लिए कपबोर्ड की भी व्यवस्था हो, जिससे कि वे अपने कागज आदि रख सकें और छोटी-छोटी पार्टियों के लिए यदि संभव हो तो एक दूसरा हॉल दे दिया जाए और उनके लिए अलग-अलग टेबिल निर्धारित कर दी जाएं, जहां वे अपने संसदीय कार्य को अंजाम दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI B.M. MENSINKAI (DHARWARD SOUTH): Sir, the Lok Shakti party in Parliament is represented by three Members and so we have no facilities in this House. So, as suggested by some other hon. Members, I want that some facilities should be provided to us by the hon. Speaker. Instead of passing a Bill in this regard, the powers should rest with the hon. Speaker who could issue necessary guidelines in this regard. It is because once it is made into an Act, the courts would also come into the picture. There should not be any law for this purpose. The powers in this regard should rest with the hon. Speaker who could guide us and give us the facilities. If it is made into an Act, then the courts would have the powers to interfere in our matters.

Sir, finally I would like to suggest that the smaller parties in Parliament should be given reasonable facilities. I support the Bill.

SHRI P.C. CHACKO (IDUKKI): Sir, it seems that on a Friday afternoon everybody is in a hurry to pass the Bills and the Minister of Parliamentary Affairs also seems to think as to why should we have a discussion on the Bill and it could just be passed and the Members here are also somewhat restless about it.

Sir, but I would like to submit that passage of a Bill of this kind in a hurry, deciding about the perks to be provided to the Chief Whips or anybody, should not give an impression to the people outside that this House is united and is in a hurry to pass everything that relates to their salaries and allowances, when otherwise the parties are at the throat of each other, fighting each other and are coming down to the well of the House and all such things happening here. This kind of an impression should not go down to the people outside. All the parties

should also express their opinion about not taking much time in the House and allow other business also to be conduced in the House.

Sir, I appreciate the Bill moved by the hon. Minister for Parliamentary Affairs, Shri Khurana, but I feel that it could have been a better Bill than this. There is a history behind bringing in this legislation. Shri Khurana mentioned about the inclusion of the recommendations of the recently held Whips' Conference in the Bill but two to three Whips' Conferences discussed in detail the facilities that were to be accorded to the Whips for efficiently discharging their duties in Parliament.

15.00 hrs.

India is the largest democracy, the most vibrant democracy in the world. Democracy is also an expensive affair. For one hour, Parliament spends Rs.5 lakh. But even for this poor country, this is our most precious thing. Even if it is for the people, it will be difficult to afford, but we cannot do away with this luxury because that is the life and soul of democracy. Whips are to be given certain facilities. What Shri Madan Lal Khurana has provided in this Bill? He said that some additional telephones facility will be given. He has not mentioned how many. What is provided in this Bill is not according to the recommendation of the Whips Conference. I am not saying that this should be enhanced. I cannot make that suggestion.

There were many other things which were proposed in the Whips Conference. You are not providing a conveyance facility for the Whips. You are providing some additional posts of P.A. and peon. At least, what are the facilities that a Parliamentary Committee Chairman is getting? If you see that a Whip is to be provided a Cabinet rank or Minister of State rank, then everything will go automatically with that. We are bringing legislation in a piecemeal manner. I am not blaming the Parliamentary Affairs Minister. He might have had discussion with other party leaders also. Various issues have cropped up and we are discussing this Bill.

The legislation can be more complete also. Every now and then we cannot come with such legislation. Tomorrow you provide a car. Day after tomorrow, you provide STD facility. You have seen our parliamentary functioning. All the small parties are playing their own role in Parliament. Providing a room in this Parliament or asking to have a chair and facility to sit and write in Parliament, these kind of things need no mention. It is the responsibility of the Government or of this Parliament to see that all parties are given this facility. I have a feeling that this is incomplete. Even now it is time for Shri Madan Lal Khurana to make a suo motu amendment suggesting that whips can be provided Minister of State status. Automatically all other facilities will be given to them. Probably you are doing something in a very piecemeal manner.

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द): सभापति महोदय, तीन बज गए हैं। प्राइवेट मैम्बर्स बिजनैस का समय हो गया है। वह प्रारंभ होना चाहिए। यदि आप इस विधेयक को पास कराना चाहते हैं, तो सभा की राय लेकर समय बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदय : मैं सदन से निवेदन करता हूं कि यदि सभा की अनुमति हो, तो कुछ मिनट का समय बढ़ाकर इस विधेयक को पारित कर दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्यः अनुमति दी जाती है। इस विधेयक को पारित कर दिया जाए।

SHRI P.C. CHACKO : Some of these can be rectified. I make this suggestion.
The Deputy Leaders of the parliamentary parties are also equally responsible people. Probably this also could have been rectified. A piecemeal way of approaching this legislation may not be healthy and good. This is a matter which has been discussed in detail. As a final result, it is coming. It could have been more comprehensive. Even by making an amendment, it can be made comprehensive. I make that suggestion and I support this Bill.

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): सभापति महोदय, जिस बात की चर्चा संसदीय कार्य मंत्री कर रहे हैं और जिस बैठक के बारे में बता रहे हैं, उस बैठक में बंगलौर में मैं भी बिहार सरकार के चीफ व्हिप की हैसियत से शामिल हुआ था। बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जहां चीफ व्हिप को ऐसी सुविधा मिलती है। वहां जो सत्ता और ि वपक्ष के चीफ व्हिप होते हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। चूंकि यह संसद बड़ी है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए यहां पर चीफ व्हिप को ज्यादा सुविधा होनी चाहिए, लेकिन उस समय हमें इस बारे में जानकर बहुत ताज्जुब हुआ कि यहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है।

सभापति महोदय, माननीय चाको जी ने जिन बातों की चर्चा की है, उन बातों के साथ मैं अपने आपको संबद्ध करते हुए उनका समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ व्हिप को मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा देने से सारी सुविधाएं अपने आप उपलब्ध हो जाएंगी। अगर ऐसी व्यवस्था आप कर देते हैं, तो फिर यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनको कितने टेलीफोन कॉल फ्री होंगे।

कहीं उनका दफ्तर होगा और उनके लिए दफ्तर देना अनिवार्य होगा। चीफ व्हिप्स का ऐसा काम है जो पयादो से फर्जी भयो, तिरछे-तिरछे जात। जब आपके सदन में कोरम पूरा नहीं होता है तो जो सत्ता पक्ष के चीफ व्हिप्स होते है, वह परेशान हो जाते हैं। उनको सैंट्रल हाल या बाहर आदि जाकर अपने मैम्बरों को लाना पड़ता है। उनके पास कितनी चिट्ठियां आती हैं और उसका जवाब भी देना पड़ता है इन सारी बातों की कठिनाइयों को आप देखें। जैसा हमारे अन्य साथियों ने कहा है कि जो छोटे दल हैं, उसके साथ भी यही कठिनाई है। उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। मगर जो बिल आप लाये हैं, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा आपने अपने बयान में कहा कि कई वर्षों के बाद इस बिल को आप लाये हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। विलम्ब हुआ लेकिन विलम्ब होने के बाद भी सही हुआ। जब आप इसकी नियमावली बनायेंगे तब आप इन बातों की चर्चा उसमें जरूर करिये कि जो भी छोटी पार्टियां हैं, उनके लिए भी विशेष सुविधा प्राप्त हो और किसी पर यह बंदिश लगाने की आवश्यकता नहीं है कि उनको इतनी ही कॉल्स होंगी। जिस तरह से सभी मिनिस्टर्स को टेलीफोन की सभी कॉल्स फ्री हैं, उसी तरह से उनकी भी सभी कॉल्स फ्री हों। जिस तरह से मिनिस्टर्स को कितने पी.एस., कितने पी.ए. या चपरासी देने का मापदंड बना हुआ है, वैसे ही वे सब सुविधायें उनको भी मिले। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): सभापति जी, मैंने माननीय सदस्यों के कई सुझाव सुने हैं। मैंने यह क्लेम नहीं किया कि मैं कोई बहुत बड़ी सुविधायें लेकर आया हूं। यह एक हम्बल शुरुआत है। ११वीं और १२वीं व्हिप कांफ्रेस के अंदर जो सिफारिशें हुई, वे मेरे सामने हैं। ११वीं ऑल इंडिया चीफ व्हिप्स जनवरी १९९४ को बंगलौर में हुई थी

" The Eleventh All-India Whips' Conference held at Bangalore in January, 1994 made the following recommendations:
"Chief Whips of recognised Opposition Parties in Parliament and the State Legislatures should be provided secretarial assistance and facilities of telephone and office accommodation in the premises of Legislatures by giving them statutory recognition."
The Twelfth All India Whips' Conference held at Srinagar on 21st and 22nd August, 1997 further deliberated the issue relating to the facilities to be extended to Whips."
"

उन्होंने इन मुख्य सुविधाओं के बारे में कहा था। अभी कमरों की बात उठी। पार्लियामैंट में जो कमरे हैं, वे सामने हैं। आज स्थिति यह है कि हम मिनिस्टर्स को भी पूरे कमरे नहीं दे पा रहे हैं। अभी हमारे इन्द्रजीत गुप्ता की अध्यक्षता में इलेक्शन रिफार्मस के बारे में एक कमेटी बनी थी। उसके लिए एक कमरे की आवश्यकता थी। मैंने एनेक्सी में जो मेरा कमरा था, मिनिस्टर का कमरा है, वह मैंने आपको दिया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): मुझे नहीं मालूम था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मदल लाल खुराना: मैं यह कह रहा हूं कि जो नयी बिल्डिंग बन रही है, उसमें जब व्यवस्था पूरी होगी तो उसमें देखा जायेगा। अभी जैसे डिप्टी लीडर का सुझाव आया है क्योंकि जो रिकमेंडेशन्स थी, वे केवल चीफ व्हिप्स और लीडर के बारे में थी। अब डिप्टी लीडर का मामला सामने आया है। जिस समय यह रूल्स बनेंगे, उसमें डिप्टी लीडर का मामला तो नहीं आ पायेगा लेकिन रुम्स के बारे है या कुछ और चीजें के बारे में है, निश्चित रूप से उस पर विचार किया जायेगा। आपसे निवेदन है कि यह एक हम्बल प्रारंभ है। इसका फायदा यह होगा कि बाकी स्टेटस भी कर सकती है। हम जब भी उनसे कहते थे तो वह कहते थे कि पहले पार्लियामैंट तो पास करें, उसके बाद और स्टेटस करेंगी। जब पार्लियामैंट पास करेंगी तो स्टेटस में भी प्रारंभ होगा। उसके बाद जो अनुभव आयेंगे, उसको हम और इम्प्रूव करते रहेंगे। मेरा निवेदन है कि आप इसे सर्वसम्मति से पास करें।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी): मेरा निवेदन है कि जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, उनको आप दें।।

श्री मदन लाल खुराना: मेरा निवेदन यह है कि राष्ट्रीय पार्टियां काफी हैं। ... (व्यवधान)अभी कमरा नहीं है। हम ऐसे ही नहीं पास करेंगे।

MR. CHAIRMAN :
The question is:
"That the Bill to provide for Facilities to Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament, be taken into consideration."
The motion was adopted.
MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That clauses 2 to 5 stand part of the Bill."
The motion was adopted.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.
SHRI MADAN LAL KHURANA: I beg to move:
"That the Bill be passed."
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That the Bill be passed."
The motion was adopted.

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): सभापति जी, कल बी.ए.सी. की मीटिंग में तय हुआ था कि यह पहले से सूचित कर दें कि प्राईवेट मैम्बर्स बिजनस का समय खत्म होने के बाद रेलवे बजट की सप्लीमैंट्री ग्रांटस ली जाएंगी और उसे आज ही समाप्त करना है।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : प्राईवेट मैंम्बर्स बिजनस के बाद हाफ ऐन आवर डिस्कशन भी है।

मदन लाल खुरानाः ठीक है, छः बजे के बाद रेलवे की ग्रांटस शुरू हो जाएंगी।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): इन्होंने तो एक मिनिस्टर का रेलवे का पास कैंसिल करवा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट पर पिटीशन कर दिया।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब प्राईवेट मैम्बर्स बिजनस लिए जाएंगे।

Item No.1. Shri Sultan Salahuddin Owaisi - not present.